महोदय,

जैसा कि आपको विदित होगा कि मैने दिनांक 21–06–2006 को न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था तथा उसके उपरान्त मैने माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी के पत्रांक सं0–329/XV, दिनांकित 09–02–2010 के माध्यम से अपनी सेवा में प्रवेश करते समय का व वित्तीय वर्ष 2006–07 व वर्ष 2007–08 के सम्पत्ति के विवरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किये थे। सेवा के प्रारम्भिक काल में मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि न्यायिक सेवा में प्रवेश करते ही व विगत 2 वर्षो के सम्पत्ति के विवरण माननीय न्यायालय के परिपत्र अनुसार अग्रिम वित्तीय वर्ष में प्रेषित किया जाना आवश्यक है। जैसे ही मुझको माननीय न्यायालय के उक्त परिपत्र सी0एल0सं0–16/IV–एस–16/एडमिन दिनांकित 13–05–2004 का ज्ञान हुआ उसी के पश्चात मैने बिना किसी विलम्ब के अपनी सेवा में प्रवेश करते वक्त का व वित्तीय वर्ष 2006–07 व 2007–08 (ब्लाकिग पीरियड 06–08) का विवरण प्रेषित कर दिया।

उसके उपरान्त वित्तीय वर्ष–2008–09 व 2009–10 की सम्पत्ति के विवरण जब माननीय न्यायालय को प्रेषित किया जाना देय हुआ तब मैने उक्त ब्लाकिग पीरियड वर्ष–2008–10 की सम्पत्ति के विवरण माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी के परिपत्र सं0–2033/XV , दिनांकित 21–08–2010 के माध्यम से माननीय न्यायालय को प्रेषित कर दिया था। यानि कि ब्लाकिग पीरियड वर्ष–2008–10 की सम्पत्ति के विवरण मैने परिपत्र के अनुसार दिनांक 31–03–2011 से पूर्व ही सही समय पर प्रेषित कर दिया था। इस प्रकार ब्लाकिग पीरियड वर्ष–2008–2010 की सम्पत्ति के विवरण प्रेषित करने में मेरी तरफ से कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी।

तत्पश्चात चूंकि मेरी कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक परेशानियां थी जिनका उल्लेख मैने माननीय न्यायालय के पत्रांक सं0–283/IV –3289/एडमिन, दिनांकित 16–02–2016 के उत्तर में माननीय न्यायालय को प्रेषित अपने स्पष्टीकरण सं0–195/I, दिनांकित 08–03–2016 जो कि जिला जज चंदौली के द्वारा माननीय न्यायालय को अग्रसारित किया गया था, में स्पष्ट कर दिया था। चूंकि मेरी शादी वर्ष–2007 के फरवरी माह में हुयी थी। शादी के उपरान्त कई वर्षो तक हम लोग संतान विहीन रहे तथा मेरे माता–पिता, रिश्तेदारो इत्यादि लोगों ने चिन्ता जाहिर करते हुए हम पति–पत्नी पर संतान हेतु सामाजिक दबाव बनाना चालू कर दिया, जिससे मैं शादी से लेकर करीब 7 वर्षो (2014 तक) तक संतान को लेकर अत्याधिक दबाव, तनाव व हताशा में रहा तथा हम पति–पत्नी उक्त 7 वर्षो की अवधि में संतान विहीन होने के कारण अत्याधिक दुःखी व तनावग्रस्त रहे, जो कि वित्तीय वर्ष–2010–2011 से लेकर वर्ष–2014–2015 तक बनी रही। इसके अतिरिक्त माह जून–2015 में मेरी जनपद न्यायालय चंदौली में नियुक्ति के दौरान माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति जनपद न्यायालय निरीक्षण

के लिए जब आये तो उन्होने सभी न्यायिक अधिकारियों से सम्पत्ति के विवरण प्रेषित किये जाने संबंधी सूचना मांगी, मेरे द्वारा सूचना प्रस्तुत करने पर माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने मुझे अविलम्ब वित्तीय वर्ष–2010–11 से लेकर 2014–15 तक के सम्पत्ति के विवरणपत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया, जिसके अनुसरण में ही जब मेरा एक पुत्र नवम्बर–2014 में उत्पन्न हो गया तथा जब मेरा तनाव, वेदना, दबाव व हताशा कम हुयी तब मैने जनपद न्यायालय, चंदौली में नियुक्ति के दौरान वित्तीय वर्ष–2010–2011 से लेकर 2014–15 तक के समस्त सम्पत्ति के विवरण जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्र संख्या–17/XV, दिनांकित 08–01–2016 के माध्यम से माननीय न्यायालय को प्रेषित किया था। उक्त कारण वश ही मेरे द्वारा एक साथ वित्तीय वर्ष–2010 से 2015 तक के सम्पत्ति के विवरण एक साथ प्रेषित करने का यही एक कारण रहा। कृपया उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित स्पष्टीकरण का अवलोकन करने की कृपा करें। मैने वित्तीय वर्ष–2010 से 2015 तक यानि कि 5 वर्षो की सम्पत्ति के विवरण दिनांक 08–01–2016 को इसलिये माननीय न्यायालय को प्रेषित किये क्योंकि उक्त 5 वर्षो में अंतिम वित्तीय वर्ष–2013–14 व 2014–15 की सम्पत्ति के विवरण प्रेषित किया जाना दिनांक 31–03–2016 तक माननीय न्यायालय के परिपत्र अनुसार आवश्यक हो गया था। अतः मेरे वित्तीय वर्ष –2013–14 व 2014–15 की सम्पत्ति के साथ छूटे हुये वित्तीय वर्षो 2010–11, 2011–12, 2012–13 की सम्पत्ति के विवरण भी प्रेषित किया जाना आवश्यक था, जो मेरी निरन्तरता टूटी इसका स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय को विदित है।

इसके उपरान्त आने वाले वित्तीय वर्ष–2015–16 व 2016–17 (ब्लाकिग पीरियड 15–17) की सम्पत्ति के विवरणपत्र मैंने दिनांक 31–03–2018 के पूर्व ही माननीय जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्र संख्या–915/XV , दिनांकित 18–10–2017 के माध्यम से विहित समयावधि में सम्बन्धित परिपत्र अनुसार प्रेषित कर दिया था क्योंकि ब्लॉकिग पीरियड वर्ष–2015–17 की सम्पत्ति के विवरण दाखिला वर्ष–2017–18 में समय से प्रेषित कर दिया गया था। इस प्रकार ब्लॉकिग पीरियड–2015–17 के विवरण प्रेषित करने में कोई त्रुटि मेरे अनुसार नहीं की गयी है। इसके उपरान्त अग्रिम ब्लॉकिग पीरियड–2017–19 के सम्पत्ति के विवरणपत्र जो कि मुझे दिनांक 31–03–2020 से पूर्व प्रेषित करना आवश्यक था, वह मैने सही समय पर दाखिला वर्ष–2019–20 में जरिये ई–सर्विस माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रखा है, यानि कि ब्लॉकिग पीरियड–2017–19 में भी परिपत्र अनुसार विहित दाखिला वर्ष में दाखिल किये गये है।

माननीय न्यायालय ने जो मेरे न्यायिक सेवा में नियुक्ति की तिथि से अद्यतन ब्लाकिग पीरियड व उनके दाखिला वर्ष का आंकलन किया है यद्यपि वह समुचित है किन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों व

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे सम्पत्ति के ब्लाकिग पीरियड पूर्व में विवरण प्रेषित करने की निरन्तरता भंग होने के कारण कुछ परिवर्तित हो गये है। अब मेरे समक्ष सिवाय इन्हीं भिन्न ब्लाकिग पीरियड के सम्पत्ति के विवरण वर्तमान समय में दाखिल करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है।

अब मेरे वित्तीय वर्ष–2008–09 , 2009–10, (ब्लाकिग पीरियड 08–10) 2013–14, 2014–15, (ब्लाकिग पीरियड 13–15) 2015–16 व 2016–17 (ब्लाकिग पीरियड 15–17) व अद्यतन वर्ष 2017–18, 2018–19 (ब्लाकिग पीरियड 17–19) की सम्पत्ति के विवरण पत्र इन्ही ब्लॉकिग पीरियड को मानते हुए अग्रिम दाखिला वर्ष में दाखिल किया जाना ही उपलब्ध है। मैने वित्तीय वर्ष–2008–09, 2009–10 (ब्लाकिग पीरियड 08–10) व वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 (ब्लाकिग पीरियड 13–15) व वित्तीय वर्ष (ब्लाकिग पीरियड 2015–17) व वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 (ब्लाकिग पीरियड 17–19) से लगातार प्राप्त सही समय पर प्रेषित किये गये है। मैं पूर्ण रूप से पूर्व में हुयी परिस्थितिजन्य भूल से सबक लेकर अब अपने सम्पत्ति के विवरण निर्धारित हो गये ब्लाकिग पीरियड के अनुसार दाखिल करने हेतु पूर्ण सजग, निष्ठावान व तत्पर हूं। यद्यपि माननीय न्यायालय द्वारा मेरी नियुक्ति की तिथि से गणना की गयी ब्लाकिग पीरियडो का निर्धारण उचित है किन्तु मेरा केस उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियों के कारण मेरे सम्पत्ति के विवरण दाखिल करने हेतु ब्लाकिग पीरियड का निर्धारण व दाखिला वर्ष माननीय न्यायालय से भिन्न हो रहा है जिसके लिए माननीय न्यायालय को हुयी असुविधा के लिए मैं बिना शर्त क्षमाप्रार्थी हूं। मेरा साशय माननीय न्यायालय के परिपत्र का अननुपालन करने का कोई उददेश्य नहीं रहा है। मैं भविष्य में भी पूर्ण सजग रहकर आने वाले वर्षो में भी माननीय न्यायालय की पालिसी अनुसार अपने सम्पत्ति के विवरण दाखिल करता रहूंगा, जिसमें कोई त्रुटि या भूल कदापि नहीं होगी। अब मेरा भविष्य का ब्लाकिग पीरियड वर्ष–2019–21 होगा जिसका दाखिला वर्ष–2021–22 बैठेगा, यदि माननीय न्यायालय को उक्त जवाब में कुछ निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करे जिससे कि मेरे प्रस्तुत भिन्नता का समुचित निराकरण हो सके। मेरी माननीय न्यायालय से करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 के सम्पत्ति के विवरण पत्र स्वीकार करने की महती कृपा करे। मैं माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहूंगा।

सादर

(आदित्य चतुर्वेदी)